न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 14/2019/अपील/एल.आर.एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 22.1.2019
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1 पिताम्बर मुतबन्ना गणपतलाल राठोर तेली निवासी ग्राम मांटूदा तहसील बूंदी जिला बूंदी (राज0)।

...अपीलार्थी

बनाम

1 हिमाशुं आत्म्ज पिताम्बर तथाकथित गोद पुत्र गणपतलाल जाति राठौर तेली निवासी ग्राम मांटूदा तहसील बूंदी जिला बूंदी।
2 राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक कोटा।

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलार्थी
श्री के0डी0 दाधीच अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1

:::निर्णय:::

दिनांक 7.1.2020

अपीलार्थी ने न्यायालय तहसीलदार बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मि0 सं0 34/2018 जांच गोदनामा व वसीयत मृतक खातेदार गणपत पि0 रघुनाथ कौम तेली निवासी माटून्दा गोदपुत्र एवं वसीयत ग्रहिता हिमांशु पि0 पीताम्बर साहू गोदपुत्र गणपतलाल साहू नि0 माटून्दा मे पारित निर्णय दिनांक 23.10.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि हिमाशुं साहू पि0 पीताम्बर साहू कौम तेली निवासी माटून्दा द्वारा गणपत पि0 रघुनाथ तेली नि0 माटून्दा की संयुक्त खातेदारी की भूमि किता 8 रकबा 28 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम माटून्दा को गोदपुत्र व वसीयत के आधार पर अपने नाम दर्ज कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र परीक्षण न्यायालय तहसीलदार बूंदी के यहां पेश किया। तहसीलदार बूंदी द्वारा गोदपुत्र व वसीयत के आधार पर मृतक खातेदार गणपत पि0 रघुनाथ तेली निवासी माटून्दा के हिस्से की भूमि को उसके गोद पुत्र हिमाशुं पि0 पीताम्बर कौम तेली दत्तक पुत्र गणपत पि0 रघुनाथ तेली निवासी माटून्दा के नाम दर्ज करने का दिनांक 2310.18 को निर्णय पारित किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि तहसीलदार बूंदी का आदेश वस्तुस्थिति एवं कानून व तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। तहसीलदार बूंदी ने मृतक के खाते की भूमि मे निहित उनके हिस्से 1/2 भूमि को रेस्पो0 क्रम–1 के खाते दर्ज करने का आदेश प्रदान करने मे त्रुटि की है। उपरोक्त भूमि के रामधन आ0 रघुनाथ 1/2 एवं गणपतलाल आ0 रघुनाथ 1/2 हिस्से के सहकृषक दर्ज थे गणपतलाल व रामधन दोनो सगे भाई थे गणपतलाल के कोई जायन्दा सन्तान पुत्र पुत्री नही थे गणपतलाल की दिनांक 21.7.2017 को मृत्यु हो गई थी। गणपतलाल एवं उसकी पत्नी सोसरबाई के कोई संतान नही होने से उन्होने गणपतलाल के सगे भाई रामधन के पुत्र अपीलांट पिताम्बर को 2–3 वर्ष की उम्र मे हिन्दू जाति के रीति रिवाजो के अनुसार गोद ले लिया था। गणपतलाल का कियाक्रम दाह संस्कार भी अपीलांट ने बहैसियत गोदपुत्र किया था। गणपतलाल की पगडी भी अपीलांट ने बांधी थी। गोदपुत्र होने से उनका एक मात्र उत्तराधिकारी होने से उनके 1/2 हिस्से की भूमि मकान पर काबिज चला आ रहा है वर्तमान मे भी काबिज है। रेस्पो0 क्रम–1 हिमाशुं गणपतलाल जी का गोदपुत्र नही है। गणपतलाल जी ने रेस्पो0 को कभी गोद नही लिया ना ही गोद की

रस्म हुई। गणपतलाल जी ने रेस्पो0 क्रम–1 के पक्ष मे कभी कोई गोदनामा व वसीयत निष्पादित नही की थी। अपीलांट की पत्नी राजेशबाई ने गणपतलाल को धोखा देकर गोदनामा एंव वसीयतनामा निष्पादित कर पंजीयन कराया जो अवैध व प्रभावशून्य है। अपीलांट ने गोदनामा व वसीयत को प्रभावशून्य घोषित कराने हेतु दावा सिविल न्यायालय मे दिनांक 9.10.2018 को प्रस्तुत किया जो वर्तमान मे विचाराधीन है। गोदनामा व वसीयत परस्पर दोनो एक दूसरे के विरोधाभाषी है। इस तथ्य पर गोर नही कर परीक्षण न्यायालय ने त्रुटि की है। अपीलांट की पत्नी राजेश बाई व अपीलांट के बीच गत कई वर्षो से मनमुटाव चल रहा है बोलचाल नही है। अपीलांट की सहमति के बिना अपीलांट की पत्नी राजेश बाई को हिमांशु को किसी भी व्यक्ति अथवा गणपतलाल को गोद देने का अधिकार नही था तथाकथित गोदनामे पर पिता की सहमति आवश्यक है। इस कानूनी बिन्दू पर गोर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने हुक्म जेरअपील प्रदान करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने हुक्म जेरअपील अपीलांट को सूचना दिये बिना अपीलांट की अनुपस्थिति मे पारित किया है अतः जेरअपील आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांन्त के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। जेरअपील आदेश की जानकारी अपीलांट को 9.1.2019 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर होने उपरांत नकल प्राप्त कर अपील पेश की गई अतः विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य मानते हुये अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर हुक्म जेरअपील दिनांक 23.10.2018 अपास्त किया जावे तथा मृतक गणपतलाल का फोती नामान्तरकरण अपीलांट के पक्ष मे बहैसियत गोद पुत्र तस्दीक किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक, अपीलांट एवं रेस्पो0 क्रम–1 सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा कथन किया पक्षकार सर्वण जाति से है हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के सेक्शन 9 अनुसार पिता की सहमति/स्वीकृति के बिना गोद नही दिया जा सकता। सेक्शन 9 (3) अनुसार पिता की मृत्यु उपरांत पत्नी को पुत्र को गोद दिये जाने का अधिकार प्राप्त होता है इस कारण माता को गोद देने का अधिकार नही था इसी आधार पर गोदनामे को चेलेन्ज किया है। अपीलांट की सहमति के बिना अपीलांट की पत्नी राजेश बाई को हिमांशु को किसी भी व्यक्ति अथवा गणपतलाल को गोद देने का अधिकार नही था तथाकथित गोदनामे पर पिता की सहमति आवश्यक है। इस कानूनी बिन्दू पर गोर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने हुक्म जेरअपील प्रदान करने मे त्रुटि की है। गोदनामा व वसीयत को प्रभावशून्य घोषित कराने हेतु सिविल न्यायालय मे दावा पहले से पेन्डिग है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने हिमाशुं के नाम नामा0 तस्दीक करने का जेरअपील आदेश पारित कर त्रुटि की है। अपने तर्क के समर्थन मे आरबीजे 2013 पेज 77, तथा आरबीजे 2017 पेज 334 का न्यायिक उद्धरण पेश किया। बहस मे आगे बताया कि हिमाशुं पिताम्बर का एकमात्र पुत्र होने गोद नही दिया जा सकता। एआईआर (सुप्रीम) 1964 पेज 136 का न्यायिक उद्धरण पेश किया। गोदनामा व वसीयत परस्पर दोनो एक दूसरे के विरोधाभाषी है। इस तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गोर नही किया। अपने तर्क के समर्थन मे आरआरटी 2018 (1) पेज 172 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये कथन किया कि पिताम्बर को 2–3 वर्ष की उम्र मे गणपत लाल ने गोद ले लिया था। रेस्पो0 क्रम–1 हिमाशु का वोटर लिस्ट वर्ष 1999, 2004, 2014 मे क्रम सं0 1258 पर नाम तथा टीसी मे हिमांशु पिता पिताम्बर दर्ज है ऐसी स्थिति मे हिमाशुं को गोदपुत्र नही माना जा सकता। जेरअपील आदेश अपीलांट की अनुपस्थिति मे पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अपने तर्क के समर्थन मे आरआरडी 2003 पेज 415 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय का हुक्म जेरअपील निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम–1 ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का कथन है कि रेस्पो0 क्रम–1 गणपतलाल का गोदपुत्र नही पिताम्बर गोदपुत्र है। प्रकरण मे मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता सूची पेनकार्ड, बैंक पासबुक मतदाता पहचान पत्र मे पिता का नाम रामधन होने से सरकारी रिकार्ड मे नाम परिवर्तन करवाया। डायरी मे लिखावट है जो हमारे पास है विवादित भूमि पर हमारा कब्जा है। गणपतलाल ने रजिस्टर्ड गोदनामा हिमाशुं के नाम करवाया है। उक्त गोदनामे मे अपीलांट द्वारा सिविल न्यायालय मे चेलेन्ज किया है ऐसी स्थिति मे लम्बित उक्त दावे मे ही पक्षकारो के स्वत्व का निर्धारण होगा। गोदनामे का प्रश्न राजस्व न्यायालय द्वारा तय नही किया जा सकता। नामा0 की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है जिसमे भूमि का

लगान किस व्यक्ति से लिया जाना है तय किया जाता है। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे नामा0 को विवादित करार दिया जा सकता है। अतः नामा0 पर विवादित का नोट दर्ज किया जावे।

5 हमने अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया तथा प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों पर गौर किया। अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की है। अवधि मध्य मानी जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एंव प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के समर्थन मे स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। रेस्पो0 कम–1 अभिभाषक द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों के खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर पेश नही किया है तथा जेरअपील आदेश अपीलांट की अनुपस्थिति मे पारित किया जानाा प्रतीत होने से न्यायहित विलम्ब अवधि सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 प्रकरण का गुणावगुंण के आधार पर अवलोकन किया गया। प्रकरण मे अपीलांट एंव रेस्पो0 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात प्रमाणित दस्तावेजात होने प्रकरण के निर्णय मे सहायक होने से न्यायहित मे दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपीयां रेकार्ड पर ली जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बूंदी द्वारा रेस्पो0 कम–1 को गणपतलाल द्वारा निष्पादित गोदपुत्र व वसीयत की प्रमाणितकता सिद्ध होने के आधार पर मृतक खातेदार गणपत पि0 रघुनाथ तेली निवासी माटून्दा के हिस्से की भूमि को उसके गोद पुत्र हिमाशुं पि0 पीताम्बर कौम तेली दत्तक पुत्र गणपत पि0 रघुनाथ तेली निवासी माटून्दा के नाम दर्ज करने का दिनांक 2310.18 को निर्णय पारित किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि पक्षकार सर्वण जाति से है हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के सेक्शन 9 अनुसार पिता की सहमति/स्वीकृति के बिना गोद नही दिया जा सकता। सेक्शन 9 (3) अनुसार पिता की मृत्यु उपरांत पत्नी को पुत्र को गोद दिये जाने का अधिकार प्राप्त होता है इस कारण माता को गोद देने का अधिकार नही था इसी आधार पर गोदनामे को चेलेन्ज किया है। वर्तमान मे प्रकरण सिविल न्यायालय मे लम्बित है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख से यह तथ्य निर्विवाद है गोदनामा व वसीयत को लेकर पक्षकारान के मध्य वर्तमान मे सिविल न्यायालय मे प्रकरण लम्बित है। उक्त लम्बित प्रकरण मे पक्षकारान के स्वत्व का निर्धारण होगा ऐसी स्थिति मे प्रश्नगत गोदनामा व वसीयत का प्रश्न राजस्व न्यायालय द्वारा तय नही किया जा सकता। अतः उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे गोदनामा व वसीयत के संबध मे पक्षकारान के मध्य सिविल न्यायालय मे विचाराधीन वाद के निर्णय तक विवादित आराजी को विवादित करार दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। लिहाजा उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बूंदी द्वारा पारित आलौच्य जेरअपील निर्णय दिनांक 23.10.2018 मे उल्लेखित मृतक खातेदार गणपत पि0 रघुनाथ कौम तेली निवासी माटून्दा के हिस्से की भूमि को पक्षकारान के मध्य सिविल न्यायालय मे विचाराधीन वाद के निर्णय तक विवादित करार दिया जाता है। तहसीलदार बूंदी नियमानुसार लाल स्याही से भूमि विवादित होने का नोट राजस्व अभिलेखो मे नियमानुसार दर्ज करे।

7 निर्णय आज दिनांक 7.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा